**न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 08, फर्रुखाबाद।**

पीठासीन– डॉ० लकी– ––––––– उ०प्र०न्यायिक सेवा।

परिवाद संख्या – 2717 सन् 2019

मुन्नी देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी मंगली सिह निवासिनी ग्राम जिठौली थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद।

.....परिवादिनी।

प्रति

1– अमरपाल सिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र स्व० लल्लू सिंह ठाकुर

2– संजीव उर्फ पप्पू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र अमरपाल सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम जिठौली थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद।

.....अभियुक्तगण ।

धारा– 323,452,504,506 भा०दं०सं०

थाना– राजेपुर, जिला–फर्रुखाबाद।

**निर्णय**

परिवादिनी ने प्रारम्भ में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156–3 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसे सुनवायी उपरान्त न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादिनी ने अभियुक्तगण को उचित धाराओं के अधीन आहूत कर दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

संक्षेप में परिवादिनी का परिवादपत्र के अनुसार कथन है कि परिवादिनी के मकान के सामने 0.08 डि० खाली सहन पडी है, जिस पर पशु बांधती है व घूरा आदि डालती है। इसी भूमि पर नीम का पेड खडा है। विपक्षीगण अमरपाल, संजीव उर्फ पप्पू व राजीव सिह इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। दिनांक 02–08–2013 को समय 7 बजे सुबह वह भैंस को चारा डाल रही थी तभी अपरपाल फावडा लेकर उक्त भूमि पर मिटटी खोदने लगा। रोका तो आवाज देकर अपने पुत्र संजीव व राजीव को बुला लिया और किा कि आज इसे जमीन में गाड दो। संजीव के पास लाइसेंसी बन्दूक व राजीव के पास तंचा था। यह लोग मां बहन की गालियांद देते हुए आ गये तक डर से परिवादिनी अपने घर के अन्दर चली गयी तो सभी जान से मारने की नियत से घर में घुस आये और अन्दर आंगन में राजीव ने तमंचा की बट से मारापीटा शोर पर रामवीर सिंह व पति मंगली आदि आ गये जिन्होंने बचाया। परिवादिनी उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने गयी किन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया किन्तु कोई कार्यवाहीं नही हुयी।

परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं को धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन व साक्षीगण मंगली सिंह को पी०डब्लू० 1 के रूप में एवं ब्रजराज सिंह को पी डब्लू 2 के रूप में को धारा 202 दं०प्र०सं० के अधीन परीक्षित कराया गया तथा दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। न्यायालय के आदेश दिनांक 01–10–2014 के आदेशानुसार अभियुक्तगण अमरपाल सिंह एवं संजीव उर्फ पप्पू को धारा 323,452,504,506 भा०दं०सं० के

अधीन द्वारा सम्मन आहूत किया गया।

अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये। उसने अपनी जमानत करायी। धारा 244 दं०प्र०सं० के अधीन परिवादिनी ने स्वयं को पी डब्लू 1 के रूप में तथा पी डब्लू 2 के रूप में मंगली सिंह परीक्षित कराया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण अमरपाल सिंह एवं संजीव उर्फ पप्पू के विरूद्व धारा 323,452,504,506 भा०दं०सं०के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया व विचारण की मांग की।

धारा 246 दं०प्र०सं० के अधीन परिवादी ने स्वयं को पी डब्लू 1 के रूप में तथा पी डब्लू 2 के रूप में मंगली सिंह को परीक्षित कराया। अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। अतएव साक्ष्य परिवादी समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना से इन्कार किया व सफाई साक्ष्य देने से मना किया।

मैंने परिवादी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

परिवादी ने धारा 244 दं०प्र०सं० के अधीन स्वयं को पी डब्लू 1 परीक्षित कराया एवं कथन किया कि परिवादिनी के मकान के सामने 0.08 डि० खाली सहन पडी है, जिस पर पशु बांधती है व घूरा आदि डालती है। इसी भूमि पर नीम का पेड खडा है। विपक्षीगण अमरपाल, संजीव उर्फ पप्पू व राजीव सिह इस भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है। दिनांक 02–08–2013 को समय 7 बजे सुबह वह भैंस को चारा डाल रही थी तभी अपरपाल फावडा लेकर उक्त भूमि पर मिटटी खोदने लगा। रोका तो आवाज देकर अपने पुत्र संजीव व राजीव को बुला लिया और किा कि आज इसे जमीन में गाड दो। संजीव के पास लाइसेंसी बन्दूक व राजीव के पास तंचा था। यह लोग मां बहन की गालियांद देते हुए आ गये तक डर से परिवादिनी अपने घर के अन्दर चली गयी तो सभी जान से मारने की नियत से घर में घुस आये और अन्दर आंगन में राजीव ने तमंचा की बट से मारापीटा शोर पर रामवीर सिंह व पति मंगली आदि आ गये जिन्होंने बचाया।

पी डब्लू 2 मंगली सिंह ने धारा 244 दं०प्र०सं० के अधीन कथन किया कि घटना लगभग छः वर्ष पुरानी है। मेरी पत्नी मुन्नी देवी चारा डाल रहीं थी तथा अमरपाल संजीव आदि आकर नाली की मिटटी खोदने लगे। मेरी पत्नी के मना करने पर उक्त लोगों ने गाली-गलौज किया व घर में घुसकर मारापीटा। मौके पर काफी लोग आ गये जिन्होने घटना देखी व बचाया। उक्त साक्षी ने धारा 244 दं०प्र०सं० की जिरह में कथन किया कि मैने गांव वालों से गवाही के लिए कहा तो कोई तैयार नही हुआ। तब मैने रिश्तेदार ब्रजराज सिंह से सम्पर्क किया। घटना की तारीख मुझे याद नही है।

परिवादी ने धारा 246 दं.प्र.सं. के अधीन स्वयं को पी डब्लू 1 के रूप में परिक्षित कराया तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि घर के सामने खाली जमीन पडी है। गांव के कुछ लोगों ने आकर नाली का पानी बन्द कर दिया। पानी बन्द करने वालों को मैने नही देखा था। रास्ते में पानी भर गया था। अमरपाल से उसकी कहा सुनी हो गयी थी। अमर

पाल सिंह ने कहा मैने मिटटी नहीं खोदी थी। इस दौरान मोहल्ले के काफी लोग इकठठा हो गये थे। धक्का मुक्की में मैं गिर गयी थी। जिससे चोटें आयी थी। धक्का देने वालों को मैने नहीं देखा था। घटना स्थल पर सौ दो सौ लोग इकठठा हो गये थे। गाली-गलौज करने वालें को मैने नहीं देखा था। मौके पर कौन कौन लोग आये थे मुझे नहीं मालूम। अभियुक्तगण ने मुझे घर में घुसकर गाली-गलौज कर मारपीटा नहीं था एवं न ही जान से मारने की धमकी दी थी व न ही कोई घरेलू सामान आदि तोडा था।

पी डब्लू 2 मंगली सिंह ने अपने धारा 246 दं०प्र०सं० के साक्ष्य में कथन किया कि घटना सात साल पहले की है। समय करीब 11 बजे मैं खेत पर चारा लेने गया था। जब मै चारा लेकन वापस आ रहा था तो मैने शोरगुल की आवाज सुनी तो भाग कर आया तो मेरे दरवाजे के बाहर ईट के टूकडे गिरी हुयी थी। मौके पर लोगों ने बताया कि विपक्षीगण ने उसकी पत्नी के गाली-गलौज कर घर में घुसकर मारपीट की एवं धमकी दी। मैने उक्त घटना देखी नहीं थी। लोगों के बतायेअनुसार रिपोर्ट लिखा दी थी।

परिवादिनी ने धारा 246 दं.प्र.सं. के अधीन स्वयं को पी डब्लू 1 के रूप में तथा पी डब्लू 2 के रूप में मंगली सिंह को परिक्षित कराया तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिये गये साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है तथा कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गयी है। परिवादिनी तथा परिवादिनी द्वारा परिक्षित साक्षी पी डब्लू 2 के धारा 244 दं.प्र.सं. एवं धारा 246 दं०प्र०सं० के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है तथा परिक्षित साक्षी परिवादी/ अभियोजन कथानक को साबित नहीं कर पाये है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर परिवादी/अभियोजन अभियुक्तगण अमरपाल सिंह एवं संजीव उर्फ पप्पू के विरूद्ध धारा 323,452,504,506 भा०दं०सं० के अपराध के आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे स्थापित नहीं कर सकी है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य हैं।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्तगण अमरपाल सिंह एवं संजीव उर्फ पप्पू को परिवाद संख्या - 2717 सन् 2019 धारा 323,452,504,506 भा०दं०सं० थाना राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उसके पूर्व दाखिल जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त कर जमीनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437-ए दं०प्र०सं० के उपबन्धों का अनुपालन अविलम्ब करें।

दिनांकः31-05-2019

!डॉ० लकी!
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या 08,फर्रुखाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के उपरान्त उदघोषित किया गया।

दिनांकः31-05-2019

!डॉ० लकी!
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या 08,फर्रुखाबाद।